



प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
भदोही।

नियोजन अनुभाग-4

लखनऊ।दिनांक: 31 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल) निधि योजनान्तर्गत कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्धमें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०- पत्र सं०-924/पू०वि०नि/राज्यांश/2025-26 दिनांक -18 मार्च, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल) निधि योजनान्तर्गत जनपद-भदोही में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रु०194.26लाख (रूपएक करोड़ चौरानबे लाख छब्बीस हजारमात्र, जी०एस०टी० सहित) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु० 94.00 लाख (रुपये चौरानबे लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिए ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था नामित की जाती है:-

(लाख रु. में)

| क्र०सं० | कार्य का नाम                                                                                                             | लम्बाई<br>(किमी.) | अनुमोदित<br>लागत | अवमुक्त<br>धनराशि |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1       | ग्राम बारीपुर में राजाराम शुक्ला के घर से केवटाही बार्डर तक इण्टरलाकिंग कार्य। वि०ख डीघ                                  | 0.35              | 16.73            | 8.00              |
| 2       | ग्राम पंचायत कौलापुर चकविजई में शिवपूजन मौर्या के घर से इन्द्रेक्ष मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। वि०ख डीघ           | 0.5               | 27.38            | 13.00             |
| 3       | ग्राम पंचायत सुन्दरपुर में पिच रोड से सुरेन्द्र पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। वि०ख ज्ञानपुर                        | 0.35              | 20.40            | 10.00             |
| 4       | ग्राम पंचायत सुजातपुर में प्रभूनाथ पाण्डेय के घर से शिव मन्दिर होते हुए मुन्ना साहू के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। वि०ख डीघ | 0.45              | 20.19            | 10.00             |
| 5       | ग्राम पंचायत होलपुर में पिच रोड से हरिजन बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य। वि०ख ज्ञानपुर                                       | 0.4               | 18.02            | 9.00              |
| 6       | ग्राम पंचायत बेरवां पहाड़पुर में सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय के घर से बाबा सोनकर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। वि०ख डीघ        | 0.65              | 35.50            | 17.00             |

|   |                                                                                                           |             |               |              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| 7 | ग्राम पंचायत सहसीपुर (तुलापुर) में सत्यदेव बिन्द के घर से तुलापुर नहर तक इण्टरलाकिंग कार्य। वि०ख ज्ञानपुर | 0.58        | 25.50         | 12.00        |
| 8 | ग्राम पंचायत खेवखर में ब्राह्मण बस्ती से यादव बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य। वि०ख अभोली                      | 0.28        | 12.62         | 6.00         |
| 9 | ग्राम पंचायत इनारगांव परमहंस आश्रम से नागेश्वर राव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। वि०ख डीघ                   | 0.4         | 17.92         | 9.00         |
|   | <b>योग</b>                                                                                                | <b>3.96</b> | <b>194.26</b> | <b>94.00</b> |

- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
- प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेंज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं०-०१/२०२३/ए-२-७/१०-२०२३-१७(४)/७५ दिनांक १७ मार्च, २०२३ के अनुसार देय होगा।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-६ के अध्याय-१२ के प्रस्तर-३१८ में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- प्रायोजनान्तर्गत १८ प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारितव्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यो में वास्तविक खपत (C&M) हुई मुख्य सामग्री (सीमेंट/ स्टील/ गिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक /मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये।
- परियोजना की द्वावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

१- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

२- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

11. संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
13. ई-टेंडरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
14. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(Vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
16. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
17. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
18. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
19. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
20. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात् 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
21. कार्य स्थल पर संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
22. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
23. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
24. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
25. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
26. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

27. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्तमूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविकलागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागतमें कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
28. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
29. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
30. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
31. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या:101/2025/726पू0वि0नि0/35-1-2025/35-1099/110/2025 दिनांक 10 जून, 2025में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त कार्यों में से क्रमांक-5 पर आने वाले व्यय रु 9.00 लाख (रुपये नौ लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग के अनुदान संख्या-83 के बजट लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परियोजना-02-पिछड़े क्षेत्र-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-पूर्वांचल की विशेष योजनाएं-24 वृहद निर्माण तथा शेष कार्यों पर आने वाले व्यय रु 85.00 लाख (रुपये पचासी लाख मात्र) को अनुदान संख्या-40 के बजट लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परियोजना-60-अन्य-800-अन्य व्यय-03-पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परियोजना-24 वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)  
संयुक्त सचिव।

**संख्या: 58/2026/322/35-4-2026/35-1099/31/2026, तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
- 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
- 4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
- 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।
- 6- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
- 7- मण्डलायुक्त, मिर्जापुरमण्डल।
- 8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 9- मुख्य विकास अधिकारी, भदोही।
- 10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, भदोही।
- 11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग ।
- 12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, भदोही।
- 14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, भदोही।
- 15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)  
संयुक्त सचिव।